इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर 2015—भाद्र 31, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-04-2004-क्रेडिट-II, दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ, 2015 के लिये कलेक्टर जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 1025, दिनांक 14 जुलाई 2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के विचारण उपरान्त उड़द फसल के लिये राज्य शासन द्वारा अलीराजपुर जिले को परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्र. 13011-04-2004-& Credit -II, दिनांक 20 मार्च 2015 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में उड़द फसल के लिए कार्यान्वित की जावेगी.

2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक है.

3. योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों (जिनकी जोत 2 हेक्टेयर या उससे कम हो) को देय प्रीमियम पर 10 प्रतिशत का अनुदान दिया जावेगा, जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जावेगा, अर्थात् कृषक को 90 प्रतिशत ही प्रीमियम देय है. यह अनुदान ऋणी तथा अऋणी दोनों श्रेणीयों के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए लागू है.

4. खरीफ का मौसम 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक है, इसके मध्य जिलों में लागू जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित ऋणमान (Scale of Finance) अनुसार वितरित फसल ऋण राशि का 100% बीमा होना अनिवार्य है. इस मौसम के अन्तर्गत बीमा करने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :—

ऋणी कृषक	1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2015 के मध्य वितरित ऋण राशि
अऋणी कृषक	15 सितम्बर 2015 जो कि व्यतीत हो चुकी है.

5. योजना के अन्तर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा बैंकों से घोषणा-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :—

ऋणी कृषक	एआईसी द्वारा बैंकों से घोषणा-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 नवम्बर 2015 रखी गई है.

6. योजना 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर लागू हैं. क्षतिपूर्ति का आंकलन राज्य शासन द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (General Crop Estimation Survey) के अन्तर्गत प्रत्येक मौसम में बीमा इकाई क्षेत्रवार एवं फसलवार कराए गए रेण्डम पद्धति से निर्धारित फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित होगा. इस हेतु राज्य शासन द्वारा एआईसी को वास्तविक उपज के आंकड़ें प्रस्तुत करते समय (सींगल सीरीज का) प्रमाण-पत्र दिया जावेगा. अत: यदि बीमा इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल की वास्तविक उपज निर्धारित थ्रेशोल्ड उपज से कम आती है तो उस क्षेत्र/फसल में कृषक को क्षति का सामना करता हुआ माना जावेगा एवं योजना प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा.

इसकें अलावा, अन्य किसी भी कारणों से जैसे आनावारी की घोषणा, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा की घोषणा इत्यादि के आधार पर योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी.

7. (क) **ऋणी कृषकों के लिए बीमित एवं प्रीमियम राशि.**—ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि, उनके जिलों में लागू जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत ऋणमान (Scale of Finance, Approved by DLTC) के आधार पर वितरित ऋण राशि होगी और उस पर सदैव निर्धारित निश्चित प्रीमियम दर 2.50% ही लागू होंगी, साथ ही क्षतिपूर्ति सीमा 80% होगी.

8. ऋणी कृषकों के लिए प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिए.

9. मौसम के दौरान कृषक को वास्तवित तौर पर ऋण वितरण किया जाना चाहिए ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण, जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जाना चाहिए.

10. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारा रबी एवं खरीफ मौसम की एक साथ ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है एवं किसान कभी-कभी एक साथ ही समस्त ऋण लेते हैं और बैंक पूरे ऋण का एक साथ ही बीमा कर देते हैं. जबकि फसल बीमा योजनानुसार खरीफ मौसम हेतु स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि का बीमा खरीफ मौसम में एवं रबी मौसम हेतु स्वीकृत एवं वितरित ऋण सीमा का रबी मौसम में बीमा किया जाना चाहिये, चाहे किसान ने दोनों मौसमों का एक साथ ऋण लिया हो.

11. उड़द फसल हेतु बीमा की इकाई जिला है. जिला स्तर पर अधिसूचित फसल के लिए न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोग राज्य शासन द्वारा कराना आवश्यक है.

11.1 योजना के अन्तर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय, ग्वालियर एवं समस्त जिलों के अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी को वास्तविक उपज के आंकड़ें प्रेषित/वेबसाईट में अपलोड करने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं :—

फसल	वास्तविक उपज के आंकड़ों के प्रेषण की अन्तिम तिथि
उड़द	31 जनवरी 2016

11.2 राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार जिलास्तर/तहसीलस्तर/पटवारी हल्का पर अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकड़ें एवं बोया गया रकबा शासन द्वारा National Informatics Centre (NIC) की साईट पर अपलोड किए जाएंगे एवं वही मान्य होंगे. एआईसी द्वारा ऊपर वर्णित फसलवार अंतिम तिथियों पर कार्यालयीन समय उपरांत आंकड़ें उक्त साईट से डाऊनलोड किए जाएंगे एवं वे ही क्षतिपूर्ति आंकलन के लिए अंतिम एवं पूर्ण अधिकृत माने जावेंगे.

11.3 चूंकि प्रथम बार उड़द फसल, राज्य के अलीराजपुर जिले में लागू की जा रही है. अत: उक्त फसल के वास्तविक पैदावार के आंकड़ें 31 जनवरी 2016 तक हार्ड कापी द्वारा अथवा शासन के वेबसाईट पर अपलोड कर एआईसी को उपलब्ध कराने होंगे.

11.4 औसत पैदावार के आंकड़ों के साथ अधिसूचित क्षेत्रों की बोये गये क्षेत्रफल की जानकारी औसत पैदावार के आंकड़ों के साथ ही निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रदान करना अनिवार्य होगा.

12. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार ''योजना के तहत् यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाएं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.